रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2000/चैत्र 8, 1922
No. 202] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2000/CHAITRA 8, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2000

का.आ. 290(अ).— केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक महत्व के एक निश्चित मामले अर्थात् 24 फरवरी, 2000 को संसद मार्ग, नई दिल्ली में हुए वकीलों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग को, अर्थात् लाठी चार्ज और अश्रुगैस के प्रयोग के लिए, प्रेरित करने वाली परिस्थितियों की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक जांच आयोग नियुक्त करती है, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति श्री एन0सी0 कोचर, राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, द्वारा की जाएगी।

आयोग के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे:-

(i) उन तथ्यों, परिस्थितियों और दशाओं की जांच करना जिसने 24 फरवरी, 2000 को संसद मार्ग, नई दिल्ली में हुए वकीलों के प्रदर्शन पर पुलिस बल प्रयोग को, अर्थात् लाठी चार्ज और अश्रुगैस इत्यादि के प्रयोग को प्रेरित किया;

(ii) इस बात की परीक्षा करना और रिपोर्ट करना कि क्या पुलिस द्वारा प्रयोग किया गया बल अत्याधिक था और अननुपात में था और यदि ऐसा है तो दोषी पुलिस कर्मियों पर उत्तरदायित्व नियत करना; और

(iii) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिन्हें भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए किए जाने की आवश्यकता है ।

आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को यथासंभव शीघ्र किन्तु अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन मास के अपश्चात् प्रस्तुत करेगा ।

आयोग, यदि ठीक समझे, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय पर उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व केन्द्रीय सरकार को अन्तरिम रिपोर्ट दे सकेगा ।

आयोग को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन सभी शक्तियां प्राप्त होगी और वह आयोग की प्रक्रिया से संबंधित उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ।

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

[14036/50/2000-यू.टी.पी.]

कमल पाण्डे, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2000

S.O. 290(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the circumstances leading to the use of force by the police that is lathi charge and use of tear-gas on the lawyers' demonstration held at Parliament Street, New Delhi on the 24th February, 2000;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints

a Commission of Inquiry to be presided over by Hon'ble Mr. Justice N.C. Kochhar, a retired Judge of the Rajasthan High Court.

The terms of reference of the Commission shall be as follows:

(i) to inquire into the facts, circumstances and events leading to the use of force by the police that is lathi charge and use of tear-gas etc. on the lawyers' demonstration held at Parliament Street, New Delhi on 24th February, 2000;

(ii) to examine and report whether the force used by the police was excessive and disproportionate and, if so, fix the responsibility on the erring police officials; and

(iii) to recommend measures that need to be taken to avoid occurrence of such incidents in future.

The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as may be but not later than three months from the date of its first sitting.

The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before the expiry of the said period on any of the matters specified in this notification.

The Commission shall have all the powers under the Commissions of Inquiry Act, 1952 and shall follow its own procedure subject to the provisions of the said Act and the rules made thereunder relating to the procedure of the Commission.

The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

[14036/50/2000-UTP]

KAMAL PANDE, Home Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054